अध्याय-X: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

10.1 माँग प्रभारों का परिहार्य भुगतान

अनुबंधित भार का निर्धारण करने तथा आवश्यकता के अनुसार इसे कम करने में विलम्ब का परिणाम माँग प्रभारों के रूप में ₹1.78 करोड़ के परिहार्य भुगतान में हुआ।

अखिल भारतीय रेडियो (अ.भा.रे.), अलीगढ़ के पास अपनी विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम (उ.प्र.वि.नि.) के साथ 3000 के.वी.ए. का भार अनुबंधित था। उ.प्र.वि.नि. के साथ करार के अनुसार, माँग प्रभारों केा समय-समय पर लागू दरों पर उपयोग की गई वास्तविक ऊर्जा के प्रभारों सहित माह में दर्ज वास्तविक अधिकतम मांग पर अथवा अनुबंधित भार के 75 प्रतिशत, जो अधिक है, पर वसूला जाता है।

बिजली भार के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने प्रकट किया (अप्रैल 2011) कि 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान वास्तविक खपत क्रमश: 558 के.वी.ए. 1116 के.वी.ए., 544 के वी.ए. से 1008 के.वी.ए. तथा 572 के.वी.ए. से 760 के.वी.ए. के बीच थी तथा इसने इन वर्षों से घटती हुई प्रवृति केा दर्शाया। तथापि, अ.भा.रे. अलीगढ़ मांग का पुनर्निधारण करने तथा अपने अनुबंधित भार को कम करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए थे। परिणामस्वरूप, उसने 2250 के.वी.ए. प्रतिमाह (3000 के.वी.ए. के अनुबंधित भार के 75 प्रतिशत पर परिकलित) हेतु माँग प्रभारों का भुगतान करना जारी रखा।

अ.भा.रे. अलीगढ़ ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2011) कि कम माँग विद्यमान ट्रांसमीटरों के कम क्षमता पर काम करने के कारण थी तथा नए ट्रांसमीटरों को स्थापित किया जाना प्रत्याशित था। भार में कटौती को नए ट्रांसमीटरों की स्थापना के पश्चात राज्य विद्युत बोर्ड के साथ उठाया जाएगा। उसने बाद में बताया (मई 2014) कि मामले को उ.प्र.वि.नि. के साथ उठाया गया है।

इस प्रकार, अनुबंधित भार का निर्धारण करने तथा भार को कम करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति की मांग में विलम्ब का परिणाम अ.भा.रे., अलीगढ़ द्वारा ₹1.78 करोड़ (**अनुबंध-XII**) के परिहार्य भुगतान में हुआ।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (मई 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था।